दिनांक:09.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा धोखाधडी कर एटीएम कार्ड बदलने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 07 एटीएम कार्ड, 06 हजार रूपये व घटना मे प्रयुक्त ईको स्पोर्टस कार बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 06.05.25 को वादी श्री लोकेश पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम कैंडल थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्त द्वारा धोखाधडी कर वादी का ए0टी0एम0 कार्ड बदलकर ए0टी0एम0 से 19500 रूपये निकाल लेने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 140/25 धारा 318(4)/303(2) भारतीय न्याय संहिता बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा लूट/चोरी/धोखाधड़ी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 08.05.25 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान **अभियुक्त अरूण पुत्र केहर सिंह निवासी उत्तराखण्ड कालोनी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर** को नल्हेडा मार्ग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 07 एटीएम कार्ड व 06 हजार रूपये व घटना मे प्रयुक्त ईको स्पोर्टस कार रजि0 सं0 UK07 BF2450 बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त अरुण उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं अपने साथी के साथ मिलकर लोगों के एटीएम बदलकर उनके खातों से पैसे निकालने का काम करता हूँ, मैने दिनांक 29.03.25 को अपने साथी के साथ मिलकर अम्बेहटापीर मे पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम मे एक महिला से उसका यूको बैंक का एटीएम कार्ड बदलकर नकुड़ के एटीएम से उसके खाते से 50 हजार रूपये निकाल लिये थे जिनमे से 25 हजार रुपये मेरे हिस्से में आये थे और 25 मेरे साथी ने ले लिये थे, इसके बाद मैनें अपने साथी के साथ मिलकर दिनांक 03.05.25 को समय करीब 10.45 बजे के आसपास अम्बेहटा पीर में इंडिया फर्स्ट एटीएम में एक व्यक्ति को उस महिला का एटीएम कार्ड देकर उसका एटीएम कार्ड ले लिया था जिसका पिन कोड मेरे साथी ने देख लिया था जो हमने कुछ समय बाद ही नकुड़ से जाकर 8500 रूपये उस एटीएम से निकाल लिये थे। जिसमें से 4 हजार रूपये मेरे हिस्से में आये थे तथा 4500 रूपये मेरे साथी ने ले लिये थे। मुझसे जो 6 हजार रूपये मिले हैं, उसमें से 4 हजार रूपये उस महिला के एटीएम से निकाले गये रूपयों में से है तथा 2 हजार रूपये 03.05.2025 को जो एटीएम बदलकर पैसे निकाले थे उनमे से है बाकी रूपये मुझसे खर्च गये थे। तथा जो उस व्यक्ति का एटीएम कार्ड था, वह मेरे साथी के पास है और बाकी के जो एटीएम कार्ड मेरे पास थे, मैं इन्ही की मदद से एटीएम बदलता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अरुण पुत्र केहर सिंह निवासी उत्तराखण्ड कालोनी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 07 एटीएम कार्ड
- 6000/- रुपये नकद

अभियुक्त अरूण उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 240/15 धारा 379/420/467/468/471 भादवि चालानी थाना कोतवाली मण्डी स0पुर।

2.मु0अ0सं0 239/15 धारा 379/420/411 भादवि चालानी थाना कोतवाली मण्डी स0पुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. का01890 मोन्टी चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 09.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में 02 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर की सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर दिनांक 02.05.2025 को मु0अ0सं0- 63/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में वांछित 02 अभियुक्तगण 1. तरुण कुमार पुत्र बाबूराम निवासी मौ0 गोपालनगर नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को उसके घर से एंव अभियुक्त मुकुल कुमार पुत्र सतीश निवासी मौ0 माधोनगर गढी मलूक न0 2 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर को भारत माता चौक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. तरुण कुमार पुत्र बाबूराम निवासी मौ0 गोपालनगर नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. मुकुल कुमार पुत्र सतीश निवासी मौ0 माधोनगर गढी मलूक न0 2 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्तगण तरुण व मुकुल का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 223/24 धारा 303(2)/317(2)/317(5)/318(4)/336(2)/340(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

2.मु0अ0सं0 215/24 धारा 303(2)317(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

3.मु0अ0सं0 194/24 धारा 303(2)/317(2)/317(5)/318(4)/336(2)/340(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

4.मु0अ0सं0 498/24 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
2. है0का0 406 अमित थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
3. है0का0 862 विपिन थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 09-05-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार मे लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09/05/2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त असलम पुत्र जिन्दा नि0 ग्राम ताताहेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को ग्राम ताताहेडी से ग्राम जुखेडी जाने वाले रास्ते पर जुखेडी तिराहे से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त असलम उपरोक्त के कब्जे से 20 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0स0- 155/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

नोट – अभियुक्त असलम उपरोक्त थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 143/25 धारा 191(2)/115(2)/324(2)/333/351(2)/352 बीएनएस व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5क एससी/ एसटी एक्ट में वांछित चल रहा था ।

पूछताछ विवरण- पकड़े गये अभियुक्त असलम उपरोक्त द्वारा पूछने पर बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ और स्मैक बेचने का काम करता हूँ मेरे पास स्मैक थी जिसे मैं नशा करने वाले राह चलते लोगो / ट्रक ड्राइवरो को जरूरत के हिसाब से बेचता हूँ । जिससे मुझे अच्छी आमदनी हो जाती है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.असलम पुत्र जिन्दा नि0 ग्राम ताताहेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 20 ग्राम नाजायज स्मैक

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

1) मु0अ0सं0 165/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर
2) मु0अ0सं0 166/19 धारा 41 सीआरीपीस थाना मण्डी सहारनपुर
3) मु0अ0सं0 335/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर
4) मु0अ0सं0 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना मण्डी सहारनपुर
5) मु0अ0सं0 20/18 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह सहारनपुर
6) मु0अ0सं0 21/18 धारा 414 भादवि थाना गगोह सहारनपुर
7) मु0अ0सं0 143/25 धारा 191(2)/115(2)/324(2)/333/351(2)/352 बीएनएस व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5क एससी/ एसटी एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
8) मु0अ0सं0 141/07 धारा 386/504/506 IPC थाना गगोंह सहारनपुर
9) मु0अ0सं0 206/08 धारा 323/324 भादवि थाना गगोह सहारनपुर

10) मु0अ0सं0 155/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गगोह सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मुबारिक अली थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 106 विक्रान्त मान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. का0 1820 अंकित मान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांकः 09.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मदाक पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 09 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार मे लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त असलम उर्फ मुन्ना पुत्र मौहम्मद अली उर्फ इस्तखार निवासी एकता कलोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को हौजखेडी चौराहे से गिरफ्तार किया गया। अभि0 असलम उर्फ मुन्ना उपरोक्त के **कब्जे से 09 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद** हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध **थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 128/2025 धारा 8/21/60(3) एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत** किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं सहारनपुर में एक व्यक्ति से स्मैक खरीदकर लाया था उसका नाम व पता नही जानता हूँ मैं राह चलते लोगो को अधिक पैसे में बेचकर पैसे कमाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- असलम उर्फ मुन्ना पुत्र मौहम्मद अली उर्फ इस्तखार निवासी एकता कलोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 09 ग्राम स्मैक नाजायज

अभि0 असलम उर्फ मुन्ना का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 19/2018 धारा 3/ 4 सार्वजनिक जुआ अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 601/18 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री जयवीर सिह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का 974 अमित भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 453 प्रवीण थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक:-09.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 09.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नागल पुलिस टीम द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त **सलाउद्दीन पुत्र मुर्सलीन निवासी ग्राम पाण्डौली थाना नागल जनपद सहारनपुर** को पाण्डौली नागल मार्ग अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक व 1190/- रुपये नगद बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना नांगल पर मु0अ0सं0 128/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरऱफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व मजदूरी का कार्य करता हूँ।मुझे अक्सर पैसो की कमी रहती है। अधिक पैसा कमाने के लिये मैं स्मैक को सस्ते में खरीदकर आस पास के क्षेत्र में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं स्मैक बेचने जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सलाउद्दीन पुत्र मुर्सलीन निवासी ग्राम पाण्डौली थाना नागल जनपद सहारनपुर

बरामदगी -

- 12 ग्राम अवैध स्मैक।
- 1190/- रूपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 महेश चन्द थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. है0का0 389 जितेन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. का0 1802 बिट्टू थाना नांगल जिला सहारनपुर
5. का0 2440 हरकेश सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर

दिनांकः 09.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 04.05.2025 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अरशद पुत्र आसिफ निवासी नईम कॉलोनी ,कलसिया रोड थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर घर से भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 181/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला संबन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिहं के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **अरशद पुत्र आसिफ निवासी नईम कॉलोनी ,कलसिया रोड थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर** को पुराना कलसिया रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 87 बीएनएस व धारा 16/17 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी ।गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अरशद पुत्र आसिफ निवासी नईम कॉलोनी कलसिया रोड थाना कोतवाली मण्डी जनपद,सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 906 विपिन राठी   थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांक: **09-05-2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.05.2025 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त मुख्तयार उर्फ मुक्का पुत्र अजीज निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 60/18 बनाम 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर नियत तिथि 13/06/25 माननीय न्यायालय अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज (गैंगस्टर एक्ट) कक्ष सं0 05 सहारनपुर में ग्राम दबकौरा से उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

मुख्तयार उर्फ मुक्का पुत्र अजीज निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. उ0नि0 संदीप कुमार थाना बेहट सहारनपुर
2. उ0नि0 राजेन्द्र राठी थाना बेहट सहारनपुर
3. का0 1325 प्रदीप कुमार थाना बेहट सहारनपुर